

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-जीसीएमएस नं. 2022/37

1. बनवारी लाल पुत्र श्योदान उम्र करीब 61 साल जाति जाट निवासी खानपुर, तहसील बुहाना, हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. श्रीमती मीना देवी पत्नि बनवारी लाल उम्र 58 साल जाति जाट निवासी खानपुर, तहसील बुहाना, हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुनीता देवी पत्नि रणवीर धनकड़ पुत्री मातुराम उम्र करीब 50 साल जाति जाट हाल आबाद वार्ड नम्बर 9 ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति कमला देवी पत्नि अशोक कुमार उम्र 44 साल जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री अशोक शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राकेश शेखावत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 02.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 579 दिनांक 22 जून 2021 ग्राम पंचायत मोई सददा के आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है जो निर्णय न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि जो कृषि भूमि सम्पूर्ण आबादी में परिवर्तित हो चुकी है तो उसके राजस्व रिकॉर्ड के बाबत आदेश कोई आदेश कानूनन

P.T.O.

पारित नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध जाकर गैरकानूनी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय समेरिली निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आबादी में परिवर्तित हो चुकी कृषि भूमि जिसका खाता संख्या 117 जमाबन्दी सम्बत 2075-78 जिसके हाल खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर है जिसे रेस्पोडेन्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 से खरीद कर मालिकाना हक प्राप्त करने का अंकन अपनी अपील में किया है जबकि इस खसरा नम्बर की भूमि पूर्णतया आबादी में परिवर्तित हो चुकी है तथा आबादी में परिवर्तित होकर अलग-अलग भूखण्डों में विभाजित हो चुकी है जिसके बाबत विधिवत रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दी है उसके बावजूद नुमायशी विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को आधार मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश पूर्णतया न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि मौके पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टेयर कृषि भूमि नहीं है बल्कि सन् 1974 से यह आबादी भूमि में रूपान्तरित हो चुकी है एवं बहुत से लोगों ने उक्त भूमि पर अपने मकान प्लॉट बना कर बस चुके हैं जिन्हें अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि तहसीलदार बुहाना तथा पटवारी हल्का माकडो ने प्रार्थीगण के विरुद्ध बिना रूपान्तरण करवाये चार दीवारी कर आवासीय मकानात बनाने के कारण धारा 90(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही भी की है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के काम में नहीं आ रही है बल्कि आबादी भूमि है जिस पर अपीलार्थी एवं अन्य लोग अपने रहवास हेतु मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमि खसरा नम्बर 729/684 (गत खसरा नम्बर 351 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा भूमि को चार भागों में बाट रखा था) जिसके गत खसरा नम्बर 351/3 में से मूल खातेदार कुरझाराम नायक ने दिनांक 10 जुलाई 1975 को मंगलचन्द व नत्थू दर्जी को बेचान की तथा दिनांक 13 मार्च 1993 को मंगलचन्द दर्जी ने रूकमणी को बेचान किया तथा दिनांक 28.11.2009 को अपीलान्त बनवारी लाल ने 683 वगर्गज का प्लाट खरीद किया तथा दिनांक

04.11.2009 को अपीलान्त बनवारी लाल की पत्नि अपीलान्त मीना देवी ने 1008 वर्गगज भूमि को नत्थू दर्जी से खरीद किया है। इस प्रकार अपीलान्तस ने सन 2009 में ही अपनी खरीदशुदा कुल रकबा 1642 वर्गगज पर पुख्ता चारदीवारी बना कर उसमें मकान बनाकर आवास कर रहे हैं।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त बनवारी लाल के भूखण्ड से उत्तर दिशा में प्रार्थी रणवीर के भाई का तथा उसके बाद रणवीर की पत्नि सुनीता धनकड अपीलान्त संख्या 3 का 1620 वर्गगज का प्लॉट है। जिसके पुख्ता चारदीवारी बनाकर अपीलान्त संख्या 3 आबाद है। यह भूखण्ड मूल खातेदार कुरडाराम पुत्र लादूराम जाति नायक ने (गत खसरा नम्बर 351/3 रकबा 19 बिस्वा) भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.8.1974 को जानकी देवी पत्नि मंगलाराम जाति मेघवाल को बेचान की तथा जानकी देवी ने दिनांक 13.11.1976 को बनवारी लाल पुत्र कानाराम जाति जाट व विधाधर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भिर्र को बेचान कर दिया था। उक्त क्रेतागण ने भी 1976 में अपनी खरीद शुदा भूमि पर चार दीवारी बना रखी है। दिनांक 21.09.2012 को उक्त बनवारी लाल एवं विधाधर ने यह भूखण्ड अपीलान्त संख्या 3 सुनीता धनकड को बेचान कर दिया जिसके बाद से ही उक्त भूमि पर मकान बनाकर बिजली पानी का कनेक्शन लेकर अपीलान्तस अपने परिवार सहित आवास कर रहे हैं।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि बन्दोबस्त विभाग ने रेलवे को दी गई भूमि के रकबा को कम किये बिना ही नये खसरा नम्बर कायम किये तथा मौके पर जाँच किये बिना ही गलत नक्शा बनाया गया तथा खातेदारान एवं काबिज व्यक्तियों की वास्तविक कब्जे की सही जाँच किये बिना ही गलत रिकार्ड तैयार किया गया जिसके लिए खातेदारान ने रिकार्ड दुरुस्ती हेतु अलग-अलग दावा मुकदमा संख्या 137/2021 उनवानी ग्यारसी आदि बनाम कोशलया आदि, व एक अन्य बउनवानी रामेश्वर लाल आदि बनाम राजेन्द्र कुमार आदि न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में विवादग्रस्त अपील पेश होने से पूर्व से ही विचाराधीन है। जिसमें रिकार्ड दुरुस्त होने के बाद ही खातेदारान के अधिकार निर्धारित होंगे। उन्होंने आगे कथन किया है कि ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर है का निर्माण 684/561/1 से हुआ है जो पहले अविभाजित खसरा नम्बर 561 रकबा 3.68 हैक्टर था तथा बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 561 को गत खसरा नम्बर 326 मिन व 351 मिन से बनना बताया है जबकि मौके पर नक्शानुसार खसरा नम्बर 561 में गत खसरा नम्बर 326 मिन का रकबा कतई शामिल नहीं हुआ है और खसरा नम्बर 561 की सम्पूर्ण खातेदारी

खसरा नम्बर 326 मिन के खातेदारान के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने यह गलत राजस्व रिकार्ड तैयार किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्टस उक्त भूमि खसरा नम्बर 729/684 पर वास्तविक रूप से काबिज होने से अपील में हक व अधिकार रखते हैं और हितबद्ध पक्षकार हैं इसलिये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू का आदेश दिनांक 19.01.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा वाके ग्राम ढाणी हुक्मा स्थिति भूमि खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को क्रय की गई है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि को क्रय किये जाने के उपरान्त उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय विक्रय पत्र की छाया प्रति ग्राम पंचायत के समक्ष जरिये पटवारी हल्का को आवेदन किया जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा प्रपत्र पी 21 में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया और अपनी रिपोर्ट में सही अंकन करने के पश्चात् व अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् राजनैतिक दवाब के कारण पुनः नोट लगा दिया कि उक्त भूमि अकृषि परियोजनार्थ काम में आ रही है जबकि पटवारी हल्का ने स्वयं ने नामान्तरकरण दर्ज कर पेश किया तथा गिरदावर हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक विक्रय पत्र को राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकन सही माना है फिर भी ग्राम पंचायत ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया के दिनांक 22.06.2021 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर प्रकरण उप तहसीलदार सिंघाना को रिमाण्ड कर दिया गया जो आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे तथा अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आदेश -1 नियम-10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.01.2022 के द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10 खारिज किया गया है जिस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त निर्णय अंतिमता को प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं अपीलान्त की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कानूनन कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व अपील खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय पत्र के आधार पर हस्तान्तरित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण खोलने एवं तस्दीक करने के अलावा पटवारी, तहसीलदार के पास अन्य कोई विकल्प होता ही नहीं है तथा पटवारी, तहसीलदार ना तो ऐसे प्रकरणों में जाँच कर सकता है और ना ही जाँच की आवश्यकता है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम से नामान्तरकरण खोले जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी की आपत्ति विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण भी अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना के अपीलार्थीन आदेश की पालना में उप तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 20.01.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को नोटिस जारी कर अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.01.2022 को साक्ष्य सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सम्मन जारी किया गया जिस पर दिनांक 24.01.2022 को दोनों पक्ष उपस्थित होकर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की इस पर नियमानुसार सुनवाई कर उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा दिनांक 27.01.2022 को समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व मनन कर ग्राम ढाणी हुक्मा के खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर का विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 क्रेता कमला देवी पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी माकड़ों के पक्ष में होने पर नामान्तरकरण संख्या 759 स्वीकार करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन उक्त अपील सारहीन हो चुकी है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ग्राम ढाणी हुक्मा के गत खसरा नम्बर 351/3 के जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 582 व 583 है पूर्व खसरा नम्बर 351/3 कुरड़ा नागर पुत्रान लादूराम जाति नायक के नाम दर्ज रही है जो अनुसूचित जाति के सदस्य है उनसे क्रय करना बताकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 729/684 पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी भूमि किसी अन्य स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में कानूनन किसी प्रकार से दान, वसीयत, रहन या बैचान इत्यादि से नहीं किया जा सकता है लेकिन इन लोगो के द्वारा विधि विरुद्ध तरीक से अनुसूचित जाति के सदस्य कुरड़ाराम नागर पुत्रान लादूराम जाति नायक की भूमि को क्रय करने के फर्जी दस्तावेजात बनाकर मालिक होना बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 729/684 पर लठ के जोर पर कब्जा करना चाहते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 351/3 के हाल खसरा नम्बर 582 व 583 भू प्रबन्ध विभाग व उस समय के खातेदारों, गांव के मौजीत व्यक्तियों व सरपंच की मौजूदगी में हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार व भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा गत खसरा नम्बर 351/3 के खसरा नम्बर 582 व 583 भौतिक रूप से सर्वे कर हाल खसरा नम्बर 582 व 583 नक्शा तरमीम कर कायम किये गये थे जो वर्तमान में खेमचन्द पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी मावण्डा, हरनारायण पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी भोपालपुरा, नारायण पुत्र हुक्माराम जाति मेघवाल निवासी सीकर के नाम से वर्तमान में खातेदारी दर्ज है फिर भी उपरोक्त भू माफियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कूटरचना की है तथा इन कूटरचित दस्तावेजों के आड़ में व भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की गलती बताकर लोगों की भूमि पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देते है जबकि ग्राम ढाणी हुक्मा के खसरा नम्बर 729/684 पूर्व में तीन बार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा विधिक रूप से दावा चलाकर खाता विभाजन हुआ तथा सन् 2018 मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार 684/561/1 खसरा व नक्शा कायम किया था जिनके खातेदार अलग से घोषित किये थे जिसके हाल खसरा नम्बर 729/684 है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा घोषित किये गये रिकार्डेड खातेदारों से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को क्रय की गई है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य में उपयोग होना एवं भूमि को अपीलान्त व अन्य दीगर व्यक्तियों द्वारा प्लॉट्स के रूप में क्रय कर उस पर मकानात बनाकर रहवास करने का कथन करते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि ढाणी हुक्मा स्थित भूमि खसरा नम्बर 729/684 गत खसरा नम्बर 351 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा भूमि को चार भागों में बांट रखा था तथा खसरा नम्बर 351/3 में से मूल खातेदार कुरड़ाराम नायक थे जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसका बैचान कानूनन किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता किन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त भूमि को अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विक्रय पत्रों द्वारा क्रय करना अपनी अपील में अंकित किया है, ऐसे में यदि यह भूमि अनुसूचित जाति की थी तो इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा सत्यता की जाँच की जा सकती है। दौराने बहस न्यायालय हाजा के समक्ष यह तथ्य भी आये है कि गत खसरा नम्बर 351/3 के हाल खसरा नम्बर 582 व 583 भौतिक रूप से सर्वेकर नक्शा तरमीम कर कायम किये गये थे एवं वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य में उपयोग इत्यादि हो रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा दौरान बहस अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने प्रकरण तहसीलदार बुहाना के अलावा झुन्झुनू जिले के किसी भी अन्य तहसीलदार को रिमाण्ड करने का कथन भी किया गया है जिस पर प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को रिमाण्ड किये जाने में अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी सहमति दी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना द्वारा पारित अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 19.01.2022 को एवं उक्त आदेश की पालना में उप तहसीलदार सिंधाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 को भी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं वादग्रस्त आराजी का मौका व रिकार्ड का व विभिन्न न्यायालयों में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निर्णित प्रकरणों के

(8)

सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की जाकर प्रकरण का तीन माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 14.02.2023 को न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू के समक्ष उपस्थित हो तथा दिनांक 14.02.2023 तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते हैं तत्पश्चात् तहसीलदार झुन्झुनू उभयपक्ष को सुनकर स्थगन बाबत अपने विवेकानुसार विधिनुकूल आदेश पारित करें।

Handwritten signature

(अन्तरसिंह नेहरा)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Handwritten signature
संभागीय आयुक्त, 21/1/23
जयपुर।